बिहार सरकार
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

अधिसूचना

संचिका सं0–रा0प0–04–07 / 2023– 821 पटना, दिनांक– 26-06-2024

राजस्व प्रशासन से संबंधित अभिलेखागारों / कार्यालयों में रक्षित भू–अभिलेखों / दस्तावेजों के स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन के उपरान्त आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार अभिलेखागार हस्तक, 1960 के अध्याय–8 अन्तर्गत नियम–278, 286, 288, एवं 297 में क्रमशः निम्नलिखित प्रावधान अन्तःस्थापित किया जाता है:–

1. **278(5)**।–किसी भी प्रतिलिपि के लिए स्टाम्प शुल्क के रूप में अभिलेखों के पृष्ठों के आकार के आधार पर प्रति पृष्ठ दर का निर्धारण समय–समय पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कार्यकारी आदेश के तहत निर्धारित किया जायेगा। स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं The Court Fees (Bihar Amendment) Act, 2007 से प्रभावित होगा। स्टाम्प शुल्क का निर्धारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा व इसका भुगतान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिलिपि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जायेगा।

2. **286(क)–प्रतिलिपियों के लिए आवेदन**।–भू–राजस्व से सम्बन्धित भू–अभिलेख एवं अन्य के लिए आवेदन प्रपत्र बिहार अभिलेख हस्तक, 1960 के नियम–277 द्वारा प्रावधानित प्रपत्र–28 के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र–28 'क' के रूप में अन्तःस्थापित किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्धारित वेबसाईट में दिये अभिलेखों की सूची से आवश्यकतानुसार चयन किया जायेगा। इसके पश्चात् चयन किये गये दस्तावेज को वांछित साईज में प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क को ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जायेगा।

डाटा सेंटर द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ पंजीकृत आवेदन प्राप्त होने पर पंजीकृत आवेदन से सम्बन्धित कागजातों के डिजिटाईज्ड / स्कैन प्रति को डिजिटल हस्ताक्षर अंकित करने हेतु सम्बन्धित पदाधिकारी के पास प्रेषित की जाएगी। डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के प्राप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित कागजात आवेदक को दो दिनों के अन्दर में ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी एवं कम्प्यूटर पर संधारित प्रेषण पंजी में आवेदन संख्या, आवेदक का नाम एवं प्रेषण की तिथि के साथ संधारित कर दिया जायेगा।

3. 288 (क)–अभिलेख प्राप्त करने और आवेदकों को आवश्यक जानकारी संसूचित किया जाना।–भू–राजस्व से संबंधित सभी अभिलेखों, पंजियों आदि से संबंधित जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी।

4. **297(क)–प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।**–ऑनलाइन विधि से निर्गत किये जाने वाले सभी अभिलेखों आदि की उन प्रतियों को, जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित की गई हो, उसे प्रमाणित प्रतिलिपि मानी जायेंगी।

यह अधिसूचना बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/6/24

सचिव,
राजस्व पर्षद,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–रा0प0–04–07/2023–821 पटना–15 दिनांक–26-06-2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, प्रभारी ई गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार को अधिसूचना की प्रति (सी0 डी0 सहित) सरकारी गजट के असाधारण अंक में मुद्रित करने हेतु प्रेषित।

26/6/24

सचिव,
राजस्व पर्षद,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–रा0प0–04–07/2023–821 पटना–15 दिनांक–26-06-2024

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/24

सचिव,
राजस्व पर्षद,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–रा0प0–04–07/2023–821 पटना–15 दिनांक–26-06-2024

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल, बिहार, पटना के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/6/24

सचिव,
राजस्व पर्षद,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev\sec-8\Santosh Jee\Act\Board of Revenue\bihar sarkar.docx